2007:CGHC:1039

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) सं. 796 / 2007

याचिकाकर्ता: श्रीमती कलेश्वरी

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) सं. 797 / 2007

याचिकाकर्ता: श्रीमती गुलपति

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) सं. 799 / 2007

याचिकाकर्ता: श्रीमती उर्मिला

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) सं. 800 / 2007

याचिकाकर्ता: श्रीमती किरण देवी

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) सं. 801 / 2007

याचिकाकर्ता: श्रीमती शीला बाई

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) सं. 802 / 2007

2007:CGHC:1039

याचिकाकर्ता: **श्रीमती चंद्रकली**

बनाम

प्रत्यर्थीगण: **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) सं. 803 / 2007

याचिकाकर्ता: **श्रीमती ममता पटेल**

बनाम

प्रत्यर्थीगण: **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) सं. 804 / 2007

याचिकाकर्ता: **मुक्ता. सरोज जायसवाल**

बनाम

प्रत्यर्थीगण: **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) सं. 805 / 2007

याचिकाकर्ता: **श्रीमती शिवमती**

बनाम

प्रत्यर्थीगण: **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) सं. 806 / 2007

याचिकाकर्ता: **श्रीमती सुषमा सिंह**

बनाम

प्रत्यर्थीगण: **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

उपस्थिति : **श्री वी.के. पांडेय, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।**

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, सह श्री अरविन्द दुबे, पैनल अधिवक्ता, की राज्य/प्रत्यर्थीगण

अन्य प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

2007:CGHC:1039

आदेश

(दिनांक 9 फरवरी, 2007 को पारित)

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

1. वर्तमान रिट याचिकाओं में उत्पन्न समान विधि का प्रश्न यह है कि क्या जिला कलेक्टर के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का अधिकार है। रिट याचिकाओं के तथ्य भी समान हैं। अतः इन रिट याचिकाओं को एक साथ संयोजित किया जा रहा है एवं इन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा विचारित एवं निर्णित किया जा रहा है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ताओं सहित अन्य व्यक्तियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु अंबिकापुर, जिला सरगुजा के विभिन्न स्थानों पर अपने आवेदन प्रस्तुत किए। पंचायत ने एक प्रस्ताव के आधार पर एक पैनल तैयार किया। उक्त पैनल का परीक्षण परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा किया गया और उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, प्रतापपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की सूची को अनुमोदित किया एवं संपूर्ण अभिलेख कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा को प्रेषित किए। कलेक्टर के आदेशानुसार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा दिनांक 18-01-2007 को नियुक्ति आदेश (पी-1) जारी किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत श्री वी.के. पांडेय, विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि दिनांक 18-01-2007 (पी-1) का विवादित नियुक्ति आदेश, जिसमें याचिकाकर्ताओं को स्थान नहीं मिला, एक अक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया, क्योंकि न तो कलेक्टर और न ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, अंबिकापुर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की नियुक्ति करने की अधिकारित प्राप्त है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 06-01-2000 को महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र पर अपना आधार रखा। उक्त परिपत्र में यह प्रावधान है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा की जाएगी। उक्त दिनांक 06-01-2000 के परिपत्र में यह भी उल्लेख है कि यह परिपत्र नियुक्ति हेतु शासन के पूर्ववर्ती परिपत्रों की निरंतरता में है। यह परिपत्र पूर्ववर्ती दिनांक 27-05-1996 के परिपत्र का उल्लेख करता है। तत्पश्चात, शासन द्वारा दिनांक 29-10-1996 को एक अन्य परिपत्र जारी किया गया, जो पूर्व के दिनांक 27-05-1996 के परिपत्र की निरंतरता में है, जिसके तहत परिपत्र के पैरा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर जनपद पंचायत को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नियुक्ति आदेश पारित करना चाहिए। यदि जनपद पंचायत ऐसा करने में चूक करती है, तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, कलेक्टर की स्वीकृति प्राप्त कर नियुक्ति आदेश पारित कर सकता है।

5. महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 27-05-1996 को जारी परिपत्र का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

> "विषय – आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति।
> संदर्भ – आयुक्त, महिला एवं बाल विकास का आदेश क्रमांक /आई.सी.डी.एस. / ए.एस.ओ. – पी / 95 / 3732 / दिनांक 26.9.95 एवं क्रमांक / आई.सी.डी.एस. / ए.एस.ओ. – पी / 822 / दिनांक 15.5.96 ।
>
> राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के अधिकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों को व शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निगम नगर पालिका / नगर पंचायत को हों। इस संबंध में आयुक्त, महिला एवं बाल विकास के उपरोक्त सन्दर्भित आदेशों के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के संबंध में निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 29-10-1996 को जारी परिपत्र के सुसंगत अंश इस प्रकार हैं:

> "विषय:- समेकित बाल विकास सेवा परियोजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति।
> संदर्भ:- विभाग का पत्र क्रमांक – एफ 8-3/78-3/95/50-2 दिनांक 27.05.96
> विभाग के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 27.05.96 द्वारा समेकित बाल विकास सेवा परियोजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायतों को दिये गये हैं। इन आदेशों के तारतम्य में अब निम्न और निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

"6. जनपद पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति स्वीकृत पैनल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर किये जाने के निर्देश थे। इस संबंध में अब निर्णय लिया गया है कि जनपद पंचायत के लिये यह बंधनकारी होगा कि नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के 3 सप्ताह में नियुक्ति आदेश प्रसारित कर दिये

जायें। यदि जनपद पंचायत के द्वारा इस अवधि में नियुक्ति संबंधी निर्णय नहीं लिया जाता है तो कलेक्टर के अनुमोदन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।"

7. महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 06-01-2000 को जारी परिपत्र का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

"विषय:- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 8-3 / 95 / 50 दिनांक 27.05.1996

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों को व शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत को है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियुक्ति द्वारा पूर्व में निम्न नियुक्ति संबंधी आदेश प्रसारित किये गये थे:-"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उक्त परिपत्रों (पूर्वोक्त) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यदि जनपद पंचायत द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करने में विलंब किया जाता है तो कलेक्टर की स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी नियुक्ति आदेश पारित कर सकता है।

9. वर्तमान प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित नियुक्ति आदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा कलेक्टर की स्वीकृति प्राप्त कर पारित किया गया था। अतः उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया है।

10. अन्य आरोपों के संबंध में, यह तथ्य निर्विवाद है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायत के कर्मचारी हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर जनपद पंचायतों द्वारा की जाती है।

11. याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की शर्तें मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 द्वारा शासित होती हैं। मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) नियम, 1995 (अर्थात् 'नियम, 1995'), जो कि मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 of 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) को पठनीय धारा 91 के साथ प्रयोग में लाकर बनाए गए हैं, अपील अथवा पुनरीक्षण का प्रावधान करते हैं। नियम 3(ख) नियम, 1995 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। नियम, 1995 में "आयुक्त" शब्द को अधिसूचना दिनांक 13-05-2003 द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 of 1994) की धारा 95(1) को

पठनीय धारा 91 के साथ प्रयोग में लाकर जारी की गई थी, "पंचायत निदेशक" शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अतः कलेक्टर द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना विधिसंगत है।

12. याचिकाकर्ताओं के पास 1995 के नियम 3 के तहत छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत निदेशक के समक्ष वैधानिक अपील के रूप में वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध है। याचिकाकर्ताओं ने उक्त वैकल्पिक वैधानिक उपचार अर्थात् अपील के उपचार का उपयोग किए बिना सीधे इस न्यायालय का रुख किया है।

13. यह विधि का सुप्रस्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को सामान्यतः वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका की सुनवाई से परहेज़ करना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहाँ न्यायालय अथवा अधिकरण के पास मूलभूत अधिकारिता का अभाव हो, अथवा किसी मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की आवश्यकता हो, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो। (देखें: *हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड एवं अन्य*[1], *संजना ए**म. विग (कु.) बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड***[2], ***एल.के. वर्मा बनाम एचएमटी लिमिटेड एवं अन्य***[3], **तथा *ए.पी. फूड्स बनाम एस. सैमुअल एवं अन्य***[4])।

14. विधि की उपर्युक्त सुप्रस्थापित स्थिति को वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि ना तो अधिकरण/प्राधिकरण की अधिकारिता को चुनौती दी गई है, और ना ही यह कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, अथवा यह मामला किसी मूल अधिकार के उल्लंघन अथवा किसी विधिक उपबंध के अतिक्रमण से संबंधित है। यदि याचिकाकर्ताओं के पास कोई अन्य आधार उपलब्ध है, तो उन्हें वैधानिक अपील का उपचार अपनाने की स्वतंत्रता है।

15. अतः चूंकि प्रभावी वैधानिक अपीली मंच उपलब्ध है, इसलिए रिट याचिकाएं पोषणीये न होने के कारण निरस्त की जाती हैं। यदि याचिकाकर्ता अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हैं, तो उक्त अपील के विधि अनुसार निराकरण में यह आदेश किसी प्रकार से बाधक नहीं होगा। व्ययों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

16. इस आदेश की एक प्रति सम्बद्ध रिट याचिकाओं के अभिलेख में संलग्न की जाए।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

---

1 (2005) 6 SCC 499

2 (2005) 8 SCC 242

3 (2006) 2 SCC 269

4 (2006) 5 SCC 469

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ankita Jangde, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur